रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-18092025-266226
CG-MH-E-18092025-266226

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4074] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 16, 2025/भाद्र 25, 1947
No. 4074] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 16, 2025/BHADRA 25, 1947

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संघठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 15 सितम्बर 2025

का.आ. 4189(अ).—रेलवे अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेल्वे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11) (जिसे इसमे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) कि धारा 20 'क' की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) तारीख 19 जून, 2025 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेल्वे बोर्ड) की अधिसूचना सं. 2669, का. आ. 2734 (अ) तारीख 18/06/2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबध्द अनूसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले में "मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III A के अंतर्गत बोरीवली - विरार स्थानकों के दरम्यान पांचवीं और छठी रेलवे लाइन", की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने की आशय की घोषणा की थी।

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम कि धारा 20 क की उपधारा (4) के अधिन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात "पुण्य नगरी" **(मराठी) व "दि फ्री प्रेस जर्नल" (अंग्रेजी)** में **तारीख** 4 जुलाई, 2025 को प्रकाशित किया गया था।

और, उक्त अधिनियम कि धारा 20 घ के अधीन कोई आक्षेप प्राप्त नही हुआ तथा सक्षम अधिकारी व्दारा तदनुसार आदेश पारित कर दिये गये हैं। और, उक्त अधिनियम कि धारा 20 ङ कि उपधारा (1) के अनुसरण मे सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अत: अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 ड की उपधारा (1) व्दारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबध्द अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जित की जायेगी।और इसके अतिरिक्त, उक्त अधिनियम की धारा 20ङ की उपधारा (2) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी भारग्रस्तताओं से मुक्त होकर पूर्णतः केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिला में तालुका ठाणे के अंतर्गत भायंदर गाव में, विशेष रेल परियोजना मुंबई शहर परिवहन परियोजना – III A के अंतर्गत बोरीवली - विरार स्थानकों के दरम्यान पांचवीं और छठी रेलवे लाइन के लिये संरचनाओं सहित या बिना संरचनाओं के, अधिग्रहित की जा रही भूमि का संक्षिप्त विवरण।

अ.क्र.	गांव का नाम	भू मापण /गट / सर्वे नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	भूधारक का नाम
1	भायंदर	138	20.9780	1.03.50	मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स
		140/1	0.8550	0.12.94	मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स
		140/2	0.8500		
		141/1	0.5260	0.17.94	दि. इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कं.प्रा.लि. मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स
		141/2	0.6580		
		141/3	0.5410		
		141/4	1.2650		
		141/5	0.5460		
		142/1	0.0300	0.32.22	दि. इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कं.प्रा.लि. मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स
		142/2	0.5390		
		142/अ/3	0.1110		
		142/4	0.1240		
		142/5	1.0420		
		142/6	1.1970		
		161/3	0.7840	0.06.90	दि. इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कं.प्रा.लि. मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स
		162/1	0.0960	0.08.36	दि. इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कं.प्रा.लि. मिरा रियल इस्टेट डेव्हलपर्स
		162/2	0.0560		
		162/3	0.0610		
		162/4	0.1720		
		162/5	0.0280		
		162/6	0.2860		
		162/7	0.0610		
		162/8	0.7960		
		162/9	0.0940		
		162/10	0.0300		
		162/11	0.2500		
		162/12	0.1040		
		162/13	0.1440		
		162/14	0.3640		

अ.क्र.	गांव का नाम	भू मापण /गट / सर्वे नं.	7/12 अनुसार कुल क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	संपादित क्षेत्र (हे.आर. चौ.मी.)	भूधारक का नाम
	कुल क्षेत्र			1.81.86	

[फा. सं. इ-25840-28]

मुकेश कुमार, मुख्य अभियंता (निर्माण)-I

MINISTRY OF RAILWAYS

[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 15th September, 2025

S.O. 4189(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), S. O. 2734 (E) dated the 18th June 2025 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), No. 2669 dated 19th June 2025 (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20 A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely **5th & 6th line between Borivali -Virar on Western Railway , under MUTP IIIA** in the district of Thane in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely "Punya Nagari" (Marathi) dated 4th July, 2025 and "The Free Press Journal" (English), Dated **4th July 2025** under sub section (4) of section 20 A of the said Act. And whereas, no objections were received under Section 20 (D) of the said act, and the same have been considered by the Competent Authority accordingly orders have been passed. And whereas, in pursuance of sub-section 20 E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government.

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed here to shall be acquired for the aforesaid purpose; And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government, free from all encumbrances. **.**

SCHEDULE

Brief description of the land being acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project namely, 5th & 6th line between Borivali -Virar on Western Railway, under MUTP IIIA projects in Thane Taluka, Village Bhayander in the State of Maharashtra:

Sr. No.	Name Of the Village	City Survey No./ Survey No.	Total area as per 7/12 Extract (Hec.)	Acquired Area in Ha. Are. Sq. M.	Name of The Landowner
1	Bhayander	138	20.9780	1.03.50	Mira Real Estate Developer's
		140/1	0.8550	0.12.94	Mira Real Estate Developer's
		140/2	0.8500		
		141/1	0.5260	0.17.94	The Estate Investment Company Pvt. Ltd.

Sr. No.	Name Of the Village	City Survey No./ Survey No.	Total area as per 7/12 Extract (Hec.)	Acquired Area in Ha. Are. Sq. M.	Name of The Landowner
		141/2	0.6580		Mira Real Estate Developer's
		141/3	0.5410		
		141/4	1.2650		
		141/5	0.5460		
		142/1	0.0300	0.32.22	The Estate Investment Company Pvt. Ltd. Mira Real Estate Developer's
		142/2	0.5390		
		142/अ/3	0.1110		
		142/4	0.1240		
		142/5	1.0420		
		142/6	1.1970		
		161/3	0.7840	0.06.90	The Estate Investment Company Pvt. Ltd. Mira Real Estate Developer's
		162/1	0.0960	0.08.36	The Estate Investment Company Pvt. Ltd. Mira Real Estate Developer's
		162/2	0.0560		
		162/3	0.0610		
		162/4	0.1720		
		162/5	0.0280		
		162/6	0.2860		
		162/7	0.0610		
		162/8	0.7960		
		162/9	0.0940		
		162/10	0.0300		
		162/11	0.2500		
		162/12	0.1040		
		162/13	0.1440		
		162/14	0.3640		
	Total Area			**1.81.86**	

[File No. E-25840-28]

MUKESH KUMAR, Chief Engineer (Construction)–I

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.18 12:05:19 +05'30'